

16/11/2022

पत्रावली पेश। वाद पुकारा गया। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री यू0सी0 डुंगरिया तथा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार उपस्थित। परिवादिनी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र 18ख/2 द्वारा अधिवक्ता पेश। स्वीकृत। अभियुक्ता के अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी मय तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र 18ख/1 इस आशय का पेश किया गया कि अभियुक्ता अपरिहार्य कारणों से आज माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं है तथा शेष जमानती प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने की याचना की गई। स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकृत। वास्ते बयान अन्तर्गत धारा-251 द0प्र0सं0 पत्रावली दिनांक 01/12/2022 को पेश हो।

(रजनीश मोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज
टनकपुर